न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा (राज0)

मि0नं0 168/2023 | तारीख दायरा 21.09.2023 | तारीख फैसला 27.02.2026

पीठासीन अधिकारी– श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– कमला बाई पत्नि निसार अहमद जाति मुसलमान निवासी ग्राम नौताड़ा मालियान तहसील दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

प्रार्थी(वादी)

बनाम

1– शमीम बानो जरिये कायम मुकाम
1/1 अजमद खान पुत्र ईस्माइल अहमद निवास गरीब नवाज कालोनी, सुल्तानपुर (पुत्र)
1/2 अफसाना बाई पत्नि खुशी मोहम्मद (पुत्री) निवासी ग्राम बालदडा तहसील अन्ता जिला बांरा राज0।
1/3 शहनाज बाई पत्नि जाकिर मोहम्मद (पुत्री) निवासी गरीब नवाज कोलोनी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
1/4 भूरा बाई पत्नि बुनियाद पुत्री बाबू खां (पुत्री) निवासी इस्लाम नगर सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
1/5 नूरा बाई पत्नि अशरफ उर्फ संजय निवासी नौताड़ा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2– रामभरोसी बाई पत्नि हेमराज जाति मीणा
3– श्रीमति तसलीम बानो पत्नि हैदर अली निवासीगण नौताड़ा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
4– प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सुल्तानपुर जिला कोटा राज0।
5– प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बड़ौद जिला कोटा राज0।
7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

अप्रार्थीगण(प्रतिवादी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 धारा 11 सीपीसी व धारा 151 जा0 दीवानी

निर्णय

प्रार्थी (प्रतिवादी नं0 1) की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 धारा 11 सीपीसी बाबत निम्न निवेदन करता है:–

यह कि उपरोक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज तारीख पेशी नियत है। यह कि उपरोक्त वाद में विवादित आराजीयात दिनांक 24.12.2003 को जर्ये विक्रय व क्रय की जिसके संबंध में प्रार्थीनी वादनी कमलाबाई के पुत्र अरबखान द्वारा घोषणा का दावा पेश किया थ जो आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के अनुसार दिनांक 18.10.2007 को खारीज हो गया है जिससे

उक्त वाद खारीज होने योग्य हैं। यह कि उक्त विकय पत्र दिनांक 24.12.2003 को निरस्त करवाने का एक वाद वादनी के पुत्र ने पेश किया था जो दिनांक 26.11.2023 को खारीज हो गया जिससे उक्त वाद माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से खारीज होने योग्य है। यह कि प्रतिवादी नं0 3 तस्लीम बानो को भी उक्त आराजी जर्ये विकय पत्र दिनांक 20.07.2005 से आयी है व उक्त विकय पत्र आज भी प्रभावी है व निरस्त नहीं होने से उक्त वाद माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से खारीज होने योग्य है। यह कि उक्त प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में ही माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा एवं राजस्व मण्डल अलमेर व जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम 3 कोटा द्वज्ञरा वाद व प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने व विकय पत्र किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करने से उक्त वाद माननीय न्यायालय में पोषणीय नहीं होने से खारीज होने योग्य है। यह कि शेष तथ्य वक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन किये जायेंगे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारीज फरमाया जावें।

प्रार्थी (प्रतिवादी) की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शा0फाईल किया जाकर नकल अप्रार्थी (वादीया) अधि0 को दिलवाई गयी।

अप्रार्थी (वादीया) की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुने जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल्स 11 सीपीसी को बहस पर नियत किया गया। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। बहस में प्रार्थी (अप्रार्थी कम 4) अधि0 द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया प्रार्थी (प्रतिवादी) ने बहस में कथन किया कि पूर्व में दावा पेश किया जो भी प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के तहत खारीज किया जा चुका है। वादकारण कोई पैदा नहीं हुआ है। पूर्व में पेश वाद आदेश 07 नियम 11 सीपीसी में खारीज हो चुका है। प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के सभी Clause इनके विरूद्व है तथा अप्रार्थी (वादी) अधि0 ने बहस में कथन किया कि यह पैतृक भूमि है। यास्मीन खान की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है। पूर्व में खारीज हुए दावे का आधार विकय पत्र का निरस्तीकरण था, ना कि खातेदारी घोषणा का। उक्त वाद में मैं मेरे पिता की पैतृक सम्पत्ति पर खाते की घोषणा के लिए आया हूं। इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 को खारीज फरमाया जावें। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण के अद्योपान्त अवलोकन विवेचन तथा अनुशीलन के उपरान्त हम पाते है कि वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद पेश करने का कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है तथा वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित है। अतः कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वाद कारण उत्पन्न नहीं होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः संविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानानुसार प्रस्तुत वाद का वाद कारण उत्पन्न न होने तथा वाद के विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 को स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद खारीज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पारित पर्चा मुर्तिब हो। निर्णय की प्रति सम्बन्धित पत्रावली मिसल नं0 168 /2023 में संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– कमला बाई पत्नि निसार अहमद जाति मुसलमान निवासी ग्राम नौताड़ा मालियान तहसील दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

प्रार्थी(वादी)

बनाम

1– शमीम बानो जरिये कायम मुकाम
1/1 अजमद खान पुत्र ईस्माइल अहमद निवास गरीब नवाज कालोनी, सुल्तानपुर (पुत्र)
1/2 अफसाना बाई पत्नि खुशी मोहम्मद (पुत्री) निवासी ग्राम बालदडा तहसील अन्ता जिला बांरा राज0।
1/3 शहनाज बाई पत्नि जाकिर मोहम्मद (पुत्री) निवासी गरीब नवाज कोलोनी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा
1/4 भूरा बाई पत्नि बुनियाद पुत्री बाबू खां (पुत्री) निवासी इस्लाम नगर सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
1/5 नूरा बाई पत्नि अशरफ उर्फ संजय निवासी नौताड़ा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
2– रामभरोसी बाई पत्नि हेमराज जाति मीणा
3– श्रीमति तसलीम बानो पत्नि हैदर अली निवासीगण नौताड़ा मालियान तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।
4– प्रबंधक बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सुल्तानपुर जिला कोटा राज0।
5– प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बड़ौद जिला कोटा राज0।
7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा।

अप्रार्थीगण(प्रतिवादी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 धारा 11 सीपीसी व धारा 151 जा0 दीवानी

मिसल नम्बर 168/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ श्री दीपक महावर आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि संविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के प्रावधानानुसार प्रस्तुत वाद का वाद कारण उत्पन्न न होने तथा वाद के विधि द्वारा वर्जित होने के कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07

नियम 11 को स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद खारीज किया जाता है। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 27.02.2026 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनाम	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0